



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-28.11.2024

जोन पूर्वी /थाना गोमतीनगर

- 15 हजार रूपये के इनामिया शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 804/2022 धारा 419/ 420/467/ 468/471/ 120बी भादवि0 से सम्बन्धित वांछित 01 नफर इनामिया अभियुक्त विजय नारायण सिंह पुत्र स्व0 शिवमूर्ति सिंह नि0 1/157 विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ, मूल पता – ग्रा0 व पो0 दौलताबाद बौना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 55 को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 28.11.2024 को कमता चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त काफी समय से फरार चल रहा था।



उच्चाधिकारीगणों द्वारा अभियुक्त विजय नारायण उपरोक्त पर 15,000/- रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त:-

- 1- विजय नारायण सिंह पुत्र स्व0 शिवमूर्ति सिंह नि0 1/157 विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ, मूल पता – ग्रा0 व पो0 दौलताबाद बौना थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आदित्य गौतम उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 804/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 2- मु0अ0सं0 791/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 3- मु0अ0सं0 816/2022 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ

नोट- अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 2- उ0नि0 श्री उमाकान्त तिवारी आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ
- 3- उ0नि0 श्री अकबर अली आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ
- 4- उ0नि0 श्री आशुतोष पाण्डेय अपराध शाखा लखनऊ
- 5- मुख्य आरक्षी अतुल कुमार पाण्डेय अपराध शाखा लखनऊ
- 6- मुख्य आरक्षी जीत सिंह अपराध शाखा लखनऊ
- 7- आरक्षी विशेष दुहुण अपराध शाखा लखनऊ



पुलिस कमिश्नेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक- 28.11.2024

जोन पूर्वी/थाना आलमबाग

- वादिनी/पीडिता से घर में घुसकर दुष्कर्म करने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.10.2024 को वादिनी/पीडिता द्वारा थाना स्थानीय पर प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर जिसमें दिनांक 29.09.2024 को अभियुक्तगण विक्रांत पुत्र राजाराम उर्फ शंकर व विककी उर्फ विश्वनाथ द्वारा नशे के हालत में वादिनी/पीडिता के घर में घुसकर वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व प्रार्थिनी/पीडिता ने जब अभियुक्तों विक्रान्त व विककी द्वारा बलात्कार करने की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण उपरोक्त के परिजनों को से मारने पीटने, व पूरे परिवार को जान से मारने एवं मकान पर कब्जा कर लेने की धमकी देने के संबंध में वादिनी/पीडिता की थाना स्थानीय पर दिनांक-29.10.2024 को मु0अ0स0-196/2024 धारा 70(1)/333/191(2)/115(2)/351(3) बी0एन0एस0 आलमबाग लखनऊ बनाम 1. विक्रान्त 2. विककी पुत्र 3. मालती देवी 4. मालती देवी की दो बहुए के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।



दिनांक 27.11.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर कैब वे मोड के पास मवैया थाना आलमबाग क्षेत्र से गिरफ्तार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष बाद विधिक कार्यवाही खाना किया जा रहा है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण विक्रांत पुत्र राजाराम उर्फ शंकर व विककी उर्फ विश्वनाथ उपरोक्त द्वारा वादिनी/पीडिता के घर में घुसकर वादिनी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध कारित किया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

01-विक्रांत पुत्र राजाराम उर्फ शंकर निवासी हालपता म0न0 281/61 मवैया थाना आलमबाग जनपद लखनऊ मूलपता दलखम्मन खेडा थाना बछरांवा जिला रायबरेली जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

02-विककी उर्फ विश्वनाथ पुत्र स्व0 छेदालाल म0न0 281/167 मवैया थाना आलमबाग जनपद लखनऊ उम्र करीब 44 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1.विक्रांत पुत्र राजाराम उर्फ शंकर निवासी हालपता म0न0 281/61 मवैया थाना आलमबाग जनपद लखनऊ मूलपता दलखम्मन खेडा थाना बछरांवा जिला रायबरेली जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

(a)मु0अ0स0- 228/2023 धारा -323/506 भादवि थाना आलमबाग लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल गौतम थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि0 श्री इसरार अहमद खाँ थाना आलमबाग लखनऊ
3. उ0नि0 श्री अभिनन्दन अग्रहरि थाना आलमबाग लखनऊ
4. चा0 का0 राजीव शंकर थाना आलमबाग लखनऊ
5. का0 सौरभ थाना आलमबाग लखनऊ
5. का0 रवेन्द्र थाना आलमबाग लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक- 28.11.2024

जोन पूर्वी/थाना बीबीडी

- महिला को सिलबट्टे से मारकर हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार
- घटनास्थल से आलकत्ल (एक अदद सिलबट्टा) बरामदा

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-27.11.2024 को थाना-बीबीडी जनपद लखनऊ पर वादी मुकदमा श्री राजा बाल्मिकी पुत्र विजय बाल्मिकी निवासी ग्राम बाडी थाना सिधौली जिला सीतापुर हालपता गोयल आयुर्वेदिक कालेज अनौरा कलां थाना बीबीडी जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष ने तहरीरी सूचना दी कि देवानन्द शर्मा उर्फ पंचम पुत्र स्वतन्त्र पाल शर्मा निवासी फिरिस्तीपुर थाना कोतवाली बाराबंकी जिला बाराबंकी द्वारा उसकी मां अंजली वाल्मिकी उम्र करीब 40 वर्ष की सिलबट्टे से मारकर हत्या कर दी। प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना बीबीडी पर मु0अ0स0 199/2024 धारा 103 बीएनएस व 3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अभियोग बनाम देवानन्द शर्मा उर्फ पंचम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।



मुखबिर की सूचना पर मुकदमें के वांछित अभियुक्त देवानन्द शर्मा उर्फ पंचम की गिरफ्तारी हेतु पतारसी सुरागरसी के क्रम में दिनांक 28.11.2024 को लखनऊ से आयोध्या की तरफ जाने वाले रोड पर इन्दिरा नहर ओवर ब्रिज के नीचे से समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त देवानन्द शर्मा ने पूछताछ में बताया कि उसने प्रेम प्रसंग के कारण अंजली उपरोक्त की सिलबट्टा मार कर हत्या कर दी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण -

01-देवानन्द शर्मा उर्फ पंचम पुत्र स्वतन्त्र पाल शर्मा निवासी फिरिस्तीपुर पोस्ट गदिया थाना कोतवाली बाराबंकी जिला बाराबंकी उम्र करीब 26 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01-मु0अ0स0- 199/2024 धारा-103 बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना बीबीडी लखनऊ

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल एक अदद सिलबट्टा (घटनास्थल से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना बीबीडी जनपद लखनऊ

02-प्रशि0 उ0नि0 श्री मंयक राय थाना बीबीडी जनपद लखनऊ

03-का0 रोहित कुमार थाना बीबीडी जनपद लखनऊ